

## परिशिष्ट-तीन

### प्रपत्र-3

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 17 के उपनियम (5) को  
देखें

### कार्यालय— मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल

पत्रांक / सेवा-6 / मान्यता / 8592

/ 2019-20 दिनांक-04/12/2019

सेवा में

अध्यक्ष / व्यवरथापक / प्रबन्धक

श्री गुरुराम राय पब्लिक स्कूल विकास मार्ग पौड़ी

विकास खण्ड-पौड़ी

पौड़ी गढ़वाल।

विषय— निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अनियमावली, 2011 के नियम 17 में उपनियम (5) के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता का प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी प्राप्ति 0 एवं उपशिक्षा अधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर आपके विद्यालय को पूर्व प्राथमिक से कक्षा 8 तक दिनांक 31/3/2018 से 31/3/2022 पांच वर्ष की स्थायी मान्यता (अंग्रेजी भाष्यम) की स्वीकृत प्रदान की जाती है।


प्रदत्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी—

1. मान्यता विर्ती भी परिस्थिति में कक्षा-8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा-1 में वच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत वच्चों का नामांकन अपने पड़ास के कमज़ोर एवं चंचित समुदाय के वच्चों का करेगा तथा उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक कक्षाओं का सचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
4. उपरोक्त क्रम संख्या-3 पर वर्णित वच्चों के मामले में विद्यालय को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से वैक खाता का संचालित करेगा।
5. संस्था / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यवितरण अनुदान / कैपिटेशन शुल्क प्राप्त नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी वच्चे के नामांकन से उसको आय प्रमाण, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद प्रवेश तथा धर्म, जाति, जन्म रथान आदि कारणों से या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर मना नहीं किया जाएगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे—
  - (एक) किसी भी नामांकित वच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित वच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
  - (दो) किसी भी वच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
  - (तीन) किसी भी वच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी प्रकार की वॉर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
  - (चार) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक वच्चे को नियम 35 उपनियम (1) के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
  - (पांच) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में निःशब्द / विशेष आवश्यकता वाले वच्चों का समावेषण किया जाएगा।
  - (छ) शिक्षक, अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) तथा नियमावली के नियम 31 में प्राविधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे और
  - (सात) शिक्षक, निजी-रत्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि (ट्यूशन) में संलग्न नहीं होंगे।
  8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्य चर्चा एवं पाठ्यक्रम अनुसरण करेगा।
  9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्राविधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
  10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्दत मानकों एवं मानदंडों को वरकरार रखेगा। विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के रागद्य उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत होगा—
    - विद्यालय-परिसर का क्षेत्रफल,
    - कुल निर्मित क्षेत्र,

Principal  
Shri Guru Ravidas Public School  
Vikas Marg Pauri Garhwal  
Aff. No. 3530523  
School Code- 81748

- खेल के मैदान का क्षेत्र,
  - कक्षा-कक्षों की कुल संख्या,
  - प्रधानाध्यापक—सह—कार्यालय—सह—गंडार कक्ष,
  - वालक तथा वालिकाओं के लिए अलग—अलग शौचालय,
  - पेयजल की सुविधा,
  - मध्याह्न भोजन के लिए रसोई—घर
  - वाधारहित पहुंच,
  - शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल—कूद उपकरण/पुस्तकालय उपलब्धता।
11. इस मान्यता द्वारा केवल रवीकृत परिसर में ही विद्यालय संचालित किया जायेगा। विद्यालय के नाम से अन्य कही विद्यालय संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य रांचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शैक्षिक गतिविधियों हेतु किया जायेगा।
13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 को 21) के अन्तर्गत निवन्धित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पलिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति रामूँ अथवा व्यक्तियों के साथ संघ और अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेश्वा एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या.....70.....है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
17. राज्य सरकार/जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा समय—समय पर मांगे गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से सम्बन्धित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय—समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाइटी के पंजीकरण के नवीनकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाएगा।
19. परिषिष्ट—चार के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।
20. यदि विद्यालय द्वारा अधिनियम में दी गयी धाराओं की अवहेलना प्रमाणित होती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

  
 Principal  
 Shri Guru Ram Rai Public School  
 Vikas Marg Pauri Garhwal  
 Aff. No- 3530525  
 School Code- 81748

  
 मुख्य शिक्षा अधिकारी,  
 पौड़ी गढ़वाल।  
 6/11/2019